न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

प्र.सं. ....36...../2024

1. कालूसिंह पुत्र
2. किशोरी सिंह पुत्र
3. प्रेमसिंह पुत्र
4. भगवती पुत्री
5. सूरजा कंवर पुत्री

सुप्यारकंवर पत्नी केशरी सिंह जाति राजपूत निवासी ब्रह्मनगर तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। – अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 7/2/24

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खसरा सं. 1092/158 तादादी 3.0980 हेक्टेयर, खसरा सं. 552/158 तादादी 0.6955 हैक्ट. कुल तादादी 3.7935 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरसिंह अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरी सिंह सही हैं। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरी सिंह है। पिता के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खसरा सं. 1092/158 तादादी 3.0980 हेक्टेयर, खसरा सं. 552/158 तादादी 0.6955 हैक्ट. कुल तादादी 3.7935 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरी सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. सात्यूं के अनुसार प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थीगण अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरसिंह की जगह केशरी सिंह करवाने चाहते है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरसिंह ही दर्ज है। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरसिंह की जगह केशरी सिंह दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. सात्यूं की रिपोर्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खसरा सं. 1092/158 तादादी 3.0980 हेक्टेयर, खसरा सं. 552/158 तादादी 0.6955 हैक्ट. कुल तादादी 3.7935 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थीगण के पिता का नाम केशरसिंह Delete कर इसके स्थान पर केशरी सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/24............ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)